बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक– बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 521641)349.........

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 10/02/2026

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कराये गये सामग्री एवं पूर्तियां के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल 168.72 करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 84.36 करोड़ (चौरासी करोड़ छत्तीस लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन को प्रभावी तरीके से लागु करने हेतु कई प्रकार की योजनाओं को यथार्थता प्रदान की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE-1, TRE-2, TRE-3 तथा पूर्व से कार्यरत लगभग कुल 600000 शिक्षक राज्य के विद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन के कार्य में कार्य कर रहे हैं। विद्यालयो में अध्ययन–अध्यापन का कार्य सुचारू रखने हेतु विद्यालयो में अधिष्ठापित बेंच–डेस्क के लंबित विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

2. उपरोक्त स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कराये गये सामग्री एवं पूर्तियां के लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल 168.72 करोड़ (एक अरब अड़सठ करोड़ बहत्तर लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 84.36 करोड़ (चौरासी करोड़ छत्तीस लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्न बजटीय शीर्ष के आधार पर किया जायेगा–

राशि (करोड़ में)

क्र०सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	योजना के प्रकार	उपबंधित एवं स्वीकृत राशि	विमुक्त राशि
1	21-2202-01-101-0001	0001.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	100.00	50.00
2	21-2202-02-109-0001	0001.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	50.00	25.00
3	21-2202-02-052-0001	0001.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	9.36	4.68
4	21-2202-02-052-0002	0002.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	9.36	4.68
			कुल योग :–	**168.72**	**84.36**

4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) उक्त राशि की निकासी नियमानूसार Fully Vouched Bill के आधार पर की जायेगी।

5. जिलों द्वारा आवश्यक राशि की मांग करते पत्र में अंकित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध कराये गये बेंच–डेस्क एवं अन्य के लंबित विपत्रों के भुगतान संबंधी

विपत्रों की नियमानुसार सम्यक् जांच कर ली गयी है तथा विपत्रों का भुगतान जिला/किसी अन्य निगम/संस्थान द्वारा नहीं किया गया है। लंबित विपत्रों के भुगतान में दोहरीकरण/पुनरावृति नहीं की जा रही है।

6. जिलों द्वारा लंबित विपत्रों का भुगतान से संबंधित विपत्रों की एक प्रति अलग से कार्यालय स्तर पर संधारित की जायेगी।

7. वित्तीय वर्ष 2024–25 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत बेंच–डेस्क एवं अन्य के लंबित विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई नियमानूसार की जायेगी, इसमें किसी प्रकार के अनियमितता पाये जाने की स्थिति में इसकी सारी जबावदेही संबंधित जिला की होगी।

8. उक्त मद की राशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। मितव्ययिता का ध्यान अवश्य रखा जाय।

9. उक्त स्वीकृत एवं विमुक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में कंडिका–03 में वर्णित सारणी में अंकित राशि का आवंटन निदेशक, प्राथमिक/निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिलों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्र के आधार पर संबंधित जिलों को राशि सी.एफ.एम.एस. 2.0 के द्वारा आवंटित किया जायेगा। जिला को आवंटित राशि व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता आधारित अन्य जिलों को राशि Withdraw कर सी.एफ.एम.एस. 2.0 से आवंटित कर दी जायेगी।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर निर्गत वित्त विभागीय अनुदेशों/पत्रों के आलोक में की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 3 और कंडिका 5 (ख)(ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

13. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/संबंधित उप निदेशक एवं बजट शाखा, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

14. उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) के नोट–33 पर राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) के नोट–17 पर राशि की निकासी पर अपर मुख्य सचिव अनुमोदन प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (अंश) (C.No- 521641) के नोट–7 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10.2.26

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 521641) 349 पटना, दिनांक– 10/02/2026

प्रतिलिपि :–संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/निदेशक माध्यमिक शिक्षा/निदेशक प्रशासन/उप निदेशक–सह–बजट पदाधिकारी/बजट शाखा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०)/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10.2.26

सरकार के उप सचिव